

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास(बोकारो)।

भू-वापसी वाद संख्या-02/2014-15
(प्रेमुला मंझियाईन -बनाम- साहिद अंसारी एवं अन्य)
आदेश

नूसूची 14-फारम सं0 563

आदेश की
क्रम संख्या
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेशपर की गई
कार्रवाई के बारेमें
टिप्पणी तारीख के साथ

11/7/2012

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही आवेदिका प्रेमूला मंझियाईन पति-सानू मांझी, ग्राम-भर्रा, थाना-चास, जिला-बोकारो के आवेदन के आधार पर प्रारम्भ कर विपक्षी को कारण पृच्छा की मांग की गयी।

विवादित भूमि का विवरण

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
चास	136	271	79 डी0 में से 7 डी0
	382	275, 272	7 डी0

प्रथम पक्ष ने अपने लिखित आवेदन, कारण पृच्छा, लिखित बहस एवं प्रत्युत्तर में कहा है कि आवेदिका अनुसूचित जनजाति की महिला है तथा मौजा-चास के अन्तर्गत खाता सं0 136, प्लॉट सं0 271, रकवा 7 डी0, खाता सं0 382, प्लॉट सं0 275, 272 रकवा 7 डी0 भूमि अजीज हुसैन से केवाला सं0 10167 दिनांक 22.12.1980 से खरीदा, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बाघमारा से एल0आर0केश नं0 42/79-89 के द्वारा अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् भीम मांझी ने केवाला सं0 10015 से बिक्री कर दिया पुनः प्रेमूला मंझियाईन ने 2 डी0 भूमि केवाला सं0 8181 दिनांक 11.10.79 के द्वारा सुबानी मंडलानी से खरीदकर दखलकार हुई। खरीदगी के पश्चात् आवेदिका ने 4 कमरा बनाया एवं शेष भूमि पर खेती कर दखल कब्जे में है। इन्होंने यह भी कहा है कि द्वितीय पक्ष किराये पर दुकान चलाने हेतु प्राप्त किया परन्तु बहला-फुसलाकर सादा कागज पर अंगूठा का निशान लिया है। इन्होंने यह भी उल्लेख किया कि सी0एन0टी0 की भूमि गैर सी0एन0टी0 नहीं ले सकता है। द्वितीय पक्ष नाजायज तरीके से उक्त भूमि पर कब्जा किया है। अन्त में न्यायालय से उक्त भूमि को सी0एन0टी0 एक्ट की धारा के तहत वापस करने का अनुरोध किया।

द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल कारण पृच्छा एवं लिखित बहस में कहा गया है कि वर्तमान वाद अमान्य, विधि विहित एवं सत्य विहित है। भू-वापसी वाद हेतु छोटाना0 कास्तकारी अधिनियम के धारा 46(4)(9) का अनुपलन नहीं किया गया है। प्रथम पक्ष के पति के द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से प्रश्नगत भूमि पर बने मकान का अग्रिम 70,000 रु0 तथा 1600 रु0 प्रतिमाह किराये का भुगतान करने का अनुरोध किया। इन्होंने यह भी कहा है कि आवेदिका के द्वारा परिवाद सं0 903/2013 किया गया, जो उच्च न्यायालय में लम्बित होने का उल्लेख किया। उक्त एकरारनामा में आवेदिका ने भविष्य में कोई विवाद नहीं करने का उल्लेख किया। अन्त में द्वितीय पक्ष के द्वारा आवेदिका का आवेदन खारिज करने हेतु अनुरोध किया।

सी0एन0टी0 एक्ट के तहत प्राधिकृत अधिवक्ता से इस संदर्भ में लिखित मंतव्य की मांग की गयी। प्राधिकृत अधिवक्ता ने अपने मंतव्य में कहा है कि अनूसूची में अंकित भूमि प्रेमूला मंझियाईन के द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास के एल0आर केश

सं० 42/1979-80 से अनुमति प्राप्त कर खरीदा जिसे किराये पर देने का उल्लेख किया है तथा जबरन कब्जा करने का उल्लेख है। धारा 46 सी०एन०टी० में स्पष्ट उल्लेखित है कि अनुसूचित जन जाति की सम्पत्ति का लेन-देन एक ही थाना क्षेत्र के अन्तर्गत रहनेवालों अनुसूचित जन जाति के साथ ही पट्टा, केवाला, दानपत्र, गिरवी, एकरारनामा इत्यादी किया जा सकता है। जबकि द्वितीय पक्ष अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत नहीं आते हैं फलतः उनका एकरारनामा की मान्यता शून्य है। अंचल अधिकारी, चास के जाँच प्रतिवेदन में भी उक्त भूमि का जमाबंदी प्रेमला मांझियाइन के नाम से थोका सं० 287/15 में दर्ज होना बताया गया है, साथ ही अंचल अधिकारी, चास द्वारा भू-वापसी आवेदन को स्वीकृत करने का मंतव्य दिया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता एवं सी०एन०टी० एक्ट के तहत प्राधिकृत अधिवक्ता को सुना। दाखिल कागजातों का अवलोकन किया, अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि विक्री पट्टा, केवाला, दानपत्र से लेन-देन नहीं किया गया है। मामला मकान को किराये पर देने से संबंधित है, किराये से संबंधित मामले के लिए अधोहस्ताक्षरी सक्षम प्राधिकार नहीं है। आवेदिका सक्षम प्राधिकार के न्यायालय में आवेदन दे सकते हैं। इसी आशय के साथ वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित/संशोधित,

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
चास।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
चास।